

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत उपखण्ड आध्यात्मिक मुकाम श्रीपालगढ़
रथामलान बनाम बुधारासु
 केस मुकदमा 212 RTA नं. 50/2020 सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्फिर्मेट्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/12/2020	<p>फ्यावली पेश। उभय पक्षकारानु वकील की बहस सुनने व फ्यावली में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा इतरिम साक्ष्याधी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति एवं उभय दृष्ट्या मामला पर मन करने के उपरान्त आर्चींग का आर्चीमन्ट संतुलित घटा 212 RTA के खीमर किया जाता है तथा रजिस्टर मूल वाद के बिकारण के दौरान एवं इतरिम निर्वय तक आर्चीमन्ट पत्र में एवं साक्षात्गीत के बिकारण स्थानी निषेधाज्ञा इस साक्ष्य की जारी की जाती है कि आर्चीमन्ट आर्चीमन्ट के एक-दिल्ली की डूमि वाद वादग्रस्त झाराजी में रिकॉर्ड की चयास्मिति एवं बिकारण पर रोक बनाए रखे। फ्यावली फैलन सुमार होकर दर्ज नम्बर से बड़ा होकर दाखिल रहता है। निर्णय आज दिनांक 07/12/2020 को सुनने आवालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">07/12/2020</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी श्रीपालगढ़ (जोधपुर)</p>	